फाइल नं0-71-1002(002)/28/2021

158/2023/I/453329/2023

प्रेषक,

एस0पी0 सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 21 दिसम्बर, 2023

विषयः-वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों/निदेशालय हेतु वेतनादि तथा अन्य आवश्यक व्ययों में अनुपूरक मॉग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2023-24/694, दिनॉक 13.12.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व मद में राजकीय मेडिकल कालेजों/निदेशालय हेतु वेतनादि एंव आवश्यक व्ययों के वहन किये जाने हेतु विभिन्न मानक मदों में निम्न विवरणानुसार राजस्व लेखा में अनुपूरक मॉग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि कुल **रू0 24301.63 लाख (रू0 दो अरब तैंतालिस करोड़ एक लाख तिरसठ हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

लेखाशीर्ष: 2210050010300 (निदेशन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210050010300 निदेशन	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	25,63,000 (रुपये पच्चीस लाख त्रेसठ हजार मात्र)
2	031	2210050010300 निदेशन	29 अनुरक्षण	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
	कुल			**2,25,63,000** **(रुपये दो करोड़ पच्चीस लाख त्रेसठ हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050313 (चिकित्सा स्नातकों के लिये अनिवार्य रोटेटिंग इन्टर्नशिप छात्रवृत्तियां)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050313 चिकित्सा स्नातकों के लिये अनिवार्य रोटेटिंग इन्टर्नशिप छात्रवृत्तियां	21 छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	5,00,00,000 (रुपये पांच करोड़ मात्र)
	कुल			**5,00,00,000** **(रुपये पांच करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050324 (राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050324 राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ	21 छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	4,50,00,000 (रुपये चार करोड़ पचास लाख मात्र)
2	031	2210051050324 राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ	41 भोजन व्यय	1,20,00,000 (रुपये एक करोड़ बीस लाख मात्र)
	कुल			**5,70,00,000** **(रुपये पांच करोड़ सत्तर लाख मात्र)**

http://shasanadesh.up.nic.in

लेखाशीर्ष: 2210051050326 (राजकीय मेडिकल कालेज बांदा)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050326 राजकीय मेडिकल कालेज बांदा	01 वेतन	7,00,00,000 (रुपये सात करोड़ मात्र)
2	031	2210051050326 राजकीय मेडिकल कालेज बांदा	21 छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र)
3	031	2210051050326 राजकीय मेडिकल कालेज बांदा	41 भोजन व्यय	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
4	031	2210051050326 राजकीय मेडिकल कालेज बांदा	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
5	031	2210051050326 राजकीय मेडिकल कालेज बांदा	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
	कुल			**15,00,00,000 (रुपये पंद्रह करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050338 (मेडिकल कालेज आगरा)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050338 मेडिकल कालेज आगरा	01 वेतन	20,00,00,000 (रुपये बीस करोड़ मात्र)
2	031	2210051050338 मेडिकल कालेज आगरा	21 छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	20,00,00,000 (रुपये बीस करोड़ मात्र)
3	031	2210051050338 मेडिकल कालेज आगरा	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
	कुल			**42,00,00,000 (रुपये बयालीस करोड़ मात्र)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लेखाशीर्ष: 2210051050339 (गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050339 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर	01 वेतन	20,00,00,000 (रुपये बीस करोड़ मात्र)
2	031	2210051050339 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर	21 छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	12,00,00,000 (रुपये बारह करोड़ मात्र)
3	031	2210051050339 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर	58 आउट सोर्सिग सेवाओं हेतु भुगतान	5,00,00,000 (रुपये पांच करोड़ मात्र)
	कुल			**37,00,00,000** **(रुपये सैंतीस करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050340 (मेडिकल कालेज प्रयागराज)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050340 मेडिकल कालेज प्रयागराज	01 वेतन	7,00,00,000 (रुपये सात करोड़ मात्र)
2	031	2210051050340 मेडिकल कालेज प्रयागराज	21 छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	30,00,00,000 (रुपये तीस करोड़ मात्र)
3	031	2210051050340 मेडिकल कालेज प्रयागराज	58 आउट सोर्सिग सेवाओं हेतु भुगतान	5,00,00,000 (रुपये पांच करोड़ मात्र)
	कुल			**42,00,00,000** **(रुपये बयालीस करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050341 (मेडिकल कालेज मेरठ)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050341	01	3,56,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		मेडिकल कालेज मेरठ	वेतन	(रुपये तीन करोड़ छप्पन लाख मात्र)
2	031	2210051050341 मेडिकल कालेज मेरठ	21 छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	32,00,00,000 (रुपये बत्तीस करोड़ मात्र)
3	031	2210051050341 मेडिकल कालेज मेरठ	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	5,00,00,000 (रुपये पांच करोड़ मात्र)
	कुल			**40,56,00,000 (रुपये चालीस करोड़ छप्पन लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050342 (मेडिकल कालेज झांसी)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	031	2210051050342 मेडिकल कालेज झांसी	01 वेतन	4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र)
2	031	2210051050342 मेडिकल कालेज झांसी	21 छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	9,00,00,000 (रुपये नौ करोड़ मात्र)
3	031	2210051050342 मेडिकल कालेज झांसी	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	5,00,00,000 (रुपये पांच करोड़ मात्र)
	कुल			**18,00,00,000 (रुपये अठारह करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050343 (मेडिकल कालेज गोरखपुर)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	031	2210051050343 मेडिकल कालेज गोरखपुर	21 छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	20,00,00,000 (रुपये बीस करोड़ मात्र)
2	031	2210051050343 मेडिकल कालेज गोरखपुर	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं	5,00,00,000 (रुपये पांच करोड़ मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			हेतु भुगतान	
	कुल			**25,00,00,000** **(रुपये पच्चीस करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050374 (राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	031	2210051050374 राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं	21 छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	10,50,00,000 (रुपये दस करोड़ पचास लाख मात्र)
	कुल			**10,50,00,000** **(रुपये दस करोड़ पचास लाख मात्र)**

महायोग	2,43,01,63,000 (रुपये दो अरब तैंतालीस करोड़ एक लाख त्रेसठ हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज यथा-आजमगढ़/बाँदा/आगरा/कानपुर/प्रयागराज/मेरठ/ झांसी/गोरखपुर/बदायूँ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, यथा-आजमगढ़/बॉदा/आगरा/कानपुर/ प्रयागराज/ मेरठ/झांसी/ गोरखपुर/बदायूँ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, राजकीय मेडिकल कालेज, यथा-आजमगढ़/बॉदा/आगरा/कानपुर/ प्रयागराज/मेरठ/ झांसी/ गोरखपुर/बदायूँ।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. श्री आनन्द कुमार त्रिपाठी, उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।